न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

मुकदमा सं. GCMS-2025/746 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज करतो देवी / उदयसिंह वगैरा	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/09/2025 वकुलाय उप0। वास्ते पेश होने जवाब एवं तलबी शेष अप्रार्थीगण मिसल दिनांक 19/09/2025 को पेश हो।	

पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित
P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है
पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 23/9/25
को पेश हों।

पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित
P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है,
पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 24/9/25
को पेश हों।

24/09/25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप0। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गई। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 08.10.2025 को पेश हो।

08/10/25

वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। वकुलाय उप0। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस वकुलाय उभयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अंकित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए प्रा0 पत्र जे0 आई0 कन्फर्म फरमाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अंकित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवम् जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajved
Yadav
Date: 2025.10.28 12:39:2
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	मुकदमा सं. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अवलोकन किया गया एवम् बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थीगण ने मूल वादपत्र घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया हैं। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व टी0 आई0 प्राप्त करना चाहते हैं। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे हैं। पक्षकारान के हक–अधिकारों का निर्धारण मूल वादपत्र में गुणावगुण पर किया जाना हैं। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इसी स्तर पर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:39:27 IST
Reason: SelfAttested